



छत्तीसगढ शासन

विमानन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2011–2012

विमानन विभाग

(आलोच्य अवधि में प्रभार)

2011-12

मुख्यमंत्री

माननीय डॉ. रमन सिंह

संसदीय सचिव

माननीय श्री कोमल जंघेल

सचिव

श्री आर.एस. विश्वकर्मा
दिनांक 01.09.09 से निरंतर

संचालक

श्री सुबोध कुमार सिंह
दिनांक 01.09.09 से निरंतर

विमानन विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष, 2011-12

विशय:- वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन ।

सामान्य:-

1/- विमानन संबंधी विशय संविधान की केन्द्रीय अनुसूची में है, परंतु शासन के पास स्वयं के विमान होने के कारण एवं प्रदेश में हवाई यातायात के विकास हेतु इस विभाग का गठन हुआ है, जिसके मुख्य कार्य इस प्रकार है :-

- (1) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना ।
- (2) शासकीय विमान तथा हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण एवं परिचालन की व्यवस्था ।
- (3) प्रदेश में वायु यातायात सेवाओं के विस्तार के लिए पहल करना ।
- (4) वायु यातायात के विकास के लिए राज्य के संसाधनों से निर्मित हवाई पट्टियों के अनुरक्षण तथा विकास संबंधी कार्य ।
- (5) प्रत्येक जिले के समस्त तहसील मुख्यालय में पक्के हेलीपेड निर्मित करने की कार्यवाही करना ।

2/- विमानन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/17/विमा./2001 दिनांक

06.07.2001 द्वारा विमानन संचालनालय के अधीन शासकीय विमानों के संधारण व परिचालन के लिए संचालनालय विमानन का सेटअप स्वीकृत किया गया है । (परिशिष्ट-अ)

भाग-1

आलोच्य अवधि में शासन के पास उपलब्ध विमान/हेलीकॉप्टर का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) शासकीय विमान :-

शासकीय विमान किंग एयर बी-200, व्ही.टी.-सी.टी.जी. का क्रय मेसर्स रथेयोन एयरक्राफ्ट कंपनी, अमेरिका से रूपये 23.88 करोड़ में किया गया है। यह विमान दिसंबर 2006 में शासन को प्राप्त हो चुका है तथा वर्तमान में विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं व शासन के कार्य में उपयोग हेतु लाया जा रहा है। वर्ष में अप्रैल 2011 से 31.01.2012 तक 212.45 घंटे उड़ान पूरी कर चुका है तथा कुल उड़ान 1375.05 घंटे की पूरी कर चुका है। विमान में दो पायलटों के अलावा 9 यात्रियों के बैठने हेतु सीटें उपलब्ध हैं। विमान का संधारण कार्य विभागीय अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट पर शासकीय हेंगर में किया जा रहा है। छ.ग. शासन द्वारा नए प्रशासकीय भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य पूर्णतः की ओर है।

(ब) शासकीय हेलीकॉप्टर :-

शासकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए 109 पावर, व्ही.टी.-सी.एच.जी. इटली की कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड से राशि रूपये 25.96 करोड़ में क्रय किया गया है। यह हेलीकॉप्टर दिसंबर 2007 से उड़ान हेतु उपलब्ध है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए इस हेलीकॉप्टर में बैठक क्षमता 5+2 है। इस हेलीकॉप्टर द्वारा 31 जनवरी 2012 तक 1073.43 घंटे की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई है तथा इस वर्ष अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 तक 118.13 घंटे की उड़ान पूरी कर ली गई है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं व शासन के कार्य में इसका उपयोग किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का परिचालन शासन द्वारा नियुक्त पायलटों द्वारा एवं संधारण का कार्य विभागीय अभियंताओं द्वारा पुलिस लाईन में निर्मित हेंगर में किया जा रहा है।

राज्य में स्थित हेलीपेड की जानकारी :-

छ.ग. जिले में पक्के हेलीपेड बनाने की योजना के तहत वर्ष 2010-11 में राज्य शासन द्वारा 15 जिलों में 65 हेलीपेड निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जो कि निम्नानुसार है:-

- 1) कांकेर (05 ब्लॉक):- स्पोर्ट्स काम्पलेक्स कांकेर, भानुप्रतापपुर, पंखाजूर, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़।
- 2) दंतेवाड़ा (05 ब्लॉक) :- थाना कटेकल्याण, खेल मैदान बड़ेपनेड़ा, थाना कोन्टा, बचेली, छिन्दगढ़।
- 3) रायपुर (05 ब्लॉक) :- धरसीवा, बलौदाबाजार, बिलाईगढ़, गरियाबंद, देवभाग।
- 4) बिलासपुर (05 ब्लॉक) :- पेन्द्रा, गौरेला, मुंगेली, रतनपुर महामाया (कोटा)।
- 5) कवर्धा (05 ब्लॉक) :- रेंगाखार, पंचराही, स. लोहारा, पंडरिया, चिल्फी हायर सेकेण्डरी स्कूल परिसर।
- 6) बीजापुर (05 ब्लॉक) :- गंगालूर, चिन्नाकोडेपाल, कोडेपाल पेदाकोडेपाल, रेड्डी।
- 7) दुर्ग (05 ब्लॉक) :- नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, धमधा।
- 8) राजनौदगाँव (05 ब्लॉक) :- औंधी, सीतागाँव, मदनबाड़ा, खड़गाँव, मोहला।
- 9) जांजगीर-चांपा (05 ब्लॉक):- पामगढ़, बलौदा, अकलतरा, जैजेपुर, बम्हनीडीह।
- 10) जशपुर (05 ब्लॉक):- मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल।
- 11) कोरिया (05 ब्लॉक):- बैकुण्ठपुर, सोनहत, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा।
- 12) महासमुंद (04 ब्लॉक):- बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली।
- 13) धमतरी (03 ब्लॉक):- कुरुद, मगरलोड, नगरी।
- 14) जगदलपुर (03 ब्लॉक):- तोकापाल, बकावण्ड, भानपुरी।

छ.ग. जिले में पक्के हेलीपेड बनाने की योजना के तहत वर्ष 2011-12 में राज्य शासन द्वारा 2 जिले के 9 ब्लॉक मुख्यालय में हेलीपेड निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है जो कि निम्नानुसार है:-

- 1) रायगढ़ (05 ब्लॉक):- खरसिया, घरघोड़ा, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, तमनार।
- 2) बीजापुर (04 ब्लॉक):- पोस्ट रेड्डी, पोस्ट रानी बादेली, थाना बंगापाल, थाना तोमनार।

छ.ग. जिले में पक्के हेलीपेड बनाने की योजना के तहत राज्य शासन द्वारा (1) सरगुजा जिला (2) कोरबा जिला (3) नारायणपुर जिला के ब्लॉक मुख्यालय में एवं राज्य के अन्य जिलों के शेष बचे ब्लॉक मुख्यालय में पक्के हेलीपेड निर्माण हेतु रु 200.00 लाख का प्रावधान वित्त वर्ष 2012-13 में किया गया है।

(स) राज्य में स्थित हवाई पट्टियों तथा हेलीपेड :-

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हवाई पट्टियों की जानकारी परिशिष्ट 'ब' में वर्णित है ।

(द) हवाई पट्टी का विस्तार एवं उन्नयन :-

छ0ग0 राज्य में नवीन हवाई पट्टी बनाने एवं उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में राज्य शासन द्वारा राज्य के निम्नांकित स्थानों पर नवीन हवाई पट्टी निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । इसी प्रकार पूर्व से निर्मित हवाई अड्डों के उन्नयन के लिये भी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है जो निम्नानुसार है:-

(a) नवीन हवाई पट्टी :-

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1. बलरामपुर (तामेश्वर नगर) | 1362.32 लाख रू0 | वर्ष 2010-11 |
| 2. बीजापुर | 1987.48 लाख रू0 | वर्ष 2011-12 |
| 3. दंतेवाड़ा | 681.13 लाख रू0 | वर्ष 2011-12 |

(b) हवाई पट्टी का उन्नयन :-

| | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. अम्बिकापुर (दरिमा हवाई पट्टी) | 1261.87 लाख रू0 | वर्ष 2010-11 |
| 2. रायगढ़ (कोडातराई) | 1915.28 लाख रू0 | वर्ष 2011-12 |
| 3. जशपुर नगर | 885.69 लाख रू0 | वर्ष 2011-12 |

वर्ष 2011-12 में शासन द्वारा कबीरधाम में भोरमदेव के निकट हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव है । बजट में नवीन मद में योजना शामिल है । प्राक्कलन एवं प्रस्ताव प्राप्त होते ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी ।

(ड) वायु सेवाओं के विस्तार के अंतर्गत जिलों को रायपुर (राजधानी) से जोड़ने की पहल :-

विभाग द्वारा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर व जगदलपुर, भिलाई को रायपुर से नियमित वायु सेवाओं से जोड़ने की पहल की जा रही है । जिसके तहत प्राइवेट एजेन्सी को चयनित कर उनके माध्यम से नियमित वायु सेवाएं चलाई जाएगी। शासन द्वारा जिसके लिए कंपनी को अन्डरराइट शीट्स व रियायती दर पर सुरक्षा व्यवस्था शासकीय हवाई पट्टियों के उपयोग करने का निर्णय लिया गया था । हवाई पट्टियों उपयुक्त मापदंड की न होने के कारण महानिर्देशक नागर विमान से अनुमति न मिलने के कारण अब शासन द्वारा NSOP लायसेंसधारी एयरक्राफ्ट कंपनियों से एयर टेक्सी संचालित करने के लिये परिपत्र जारी किया गया है तथा प्रदेश स्थित छः हवाई अड्डों (अंबिकापुर, जगदलपुर, जशपुर, कोरबा, भिलाई एवं रायगढ़) को उपयुक्त मापदंड के अनुसार सुधारने की कार्यवाही एवं लायसेंस प्राप्त करने हेतु टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है । कार्य आदेश जारी किया जाना है । इस कार्य पर रूपये 1.65 करोड़ (रु. एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र) का प्रावधान किया गया है ।

(इ) छ0ग0 राज्य में वायु सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन जनहित में प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित हवाई पट्टियों से वायु सेवायें संचालित करने के लिये इच्छुक एयर सेवा आपरेटर्स/कंपनी को निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति सशर्त प्रदान की गई है जिस हेतु सार्वजनिक सूचना/परिपत्र जारी किया गया है।

बजट प्रावधान :-

वर्ष 2011-12 में विमानन संचालनालय के लिए कुल राशि रूपये 527025 हजार का प्रावधान है, जिसके विरुद्ध माह जनवरी 2011 तक रूपये 108487 हजार का व्यय हो चुका है शेष बजट रूपये 418538 हजार है । (परिशिष्ट-‘स’)

भाग-तीन एवं चार :-

राज्य के विमानन विभाग के अधीन वर्तमान में कोई केन्द्र प्रवर्तित योजना संचालित नहीं है एवं कोई जांच कमेटी तथा अध्ययन कमेटी गठित नहीं की गई है ।

फ्यूल बाउजर :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सली समस्या विकराल रूप में अपना पैर जमा चुकी है । नक्सली समस्या से निपटने के लिये एयरफोर्स, बी.एस.एफ. एवं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाता है । इस अभियान में फोर्स के मूवमेंट आदि के लिए इनके हेलीकाप्टर में फ्यूल की रिफ्यूलिंग करने के लिए वर्तमान में छ0ग0 राज्य शासन विमानन विभाग में हेलीकाप्टर हेतु फ्यूल सप्लाई हेतु 3 बाउजर उपलब्ध है । जिला दंतेवाड़ा, कांकेर एवं अंबिकापुर के लिये 03 फ्यूल बाउजर एवं इन बाउजरों को भरने के लिए एक आयल टैंकर की नितांत आवश्यकता है । इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त की गई है तथा द्वितीय अनुपूरक अनुदान में रूपये 1.00 करोड़ (रु. एक करोड़ मात्र) का प्रावधान कर क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है ।

निजी भूमि अधिग्रहण मुआवजा (31-002) :-

माना विमानपत्तन, रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी के हृदय स्थल पर है । यह विमानपत्तन राष्ट्रीय आवागमन का केन्द्र है । भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार किया जाना नितांत आवश्यक है जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है । विस्तारीकरण योजना में कुल 100.98 हेक्टेयर निजी भूमि है जिसे अर्जन करने पर रु. 35.00 करोड़ (रु. पैंतीस करोड़ मात्र) मुआवजा का आकलन कलेक्टर, रायपुर द्वारा किया गया है । अतः भूमि अधिग्रहण मुआवजा हेतु रु. 35.00 करोड़ (रु. पैंतीस करोड़ मात्र) का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक अनुदान में किया जाकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ।

पद संरचना की जानकारी (01.01.2012 की स्थिति में)

विभाग का नाम— विमानन संचालनालय
 विभागाध्यक्ष का नाम— संचालक
 मांग संख्या— 65
 मुख्य शीर्ष— 2052
 उप मुख्य शीर्ष— 00
 लघु शीर्ष— 091
 योजना क्रमांक— 4043

(परिशिष्ट-अ)

| क्र | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | स्थायी | अस्थायी | नियमित सांख्येतर /संविदा | आकस्मिकता निधि स्थापना पद | कलेक्टर दर के पद | कुल स्वीकृत | भरे पद | रिक्त पद | ग्रेड-पे | पे-बैंड |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | संचालक | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 | --- | आई.ए.एस. वरिष्ठ वेतनमान | |
| 2 | उप संचालक | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 6600 | 15600-39100 |
| 3 | प्रशासकीय सह लेखाधिकारी | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 | --- | 5400 | 15600-39100 |
| 4 | कनिष्ठ लेखाधिकारी | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 4300 | 9300-34800 |
| 5 | स्टेनोग्राफर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर | 02 | --- | --- | --- | --- | 02 | 02 */** | --- | 2400 | 5200-20200 |
| 6 | स्टेना टायपिस्ट | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 1900 | 5200-20200 |
| 7 | लेखापाल | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 ** | --- | 2400 | 5200-20200 |
| 8 | सहायक ग्रेड-02 | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 ** | --- | 2400 | 5200-20200 |
| 9 | सहायक ग्रेड-03 | 03 | --- | --- | --- | --- | 03 | 02** | 01 | 1900 | 5200-20200 |
| 10 | वाहन चालक | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01** | --- | 1300 | 4750-7440 |
| 11 | भृत्य | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01** | --- | 1300 | 4750-7440 |
| 12 | सीनियर पायलट, विमान | 04 | --- | --- | --- | --- | 04 | 03* | 01 | 8900 | 37400-67000 |
| 13 | सीनियर पायलट, हेली | 02 | --- | --- | --- | --- | 02 | 02* | --- | 8900 | 37400-67000 |
| 14 | पायलट हेली. | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 * | --- | 7600 | 15600-39100 |
| 15 | मुख्य अभियंता | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 8900 | 37400-67000 |
| 16 | उप मुख्य अभियंता (रेडियो) | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01* | --- | 8700 | 37400-67000 |
| 17 | एयर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर (विमान) | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01* | --- | 7600 | 15600-39100 |
| 18 | एयर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर (हेली.) | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01* | --- | 7600 | 15600-39100 |
| 19 | सहायक अभियंता (एयरक्राफ्ट) | 02 | --- | --- | --- | --- | 02 | 01* | 01 | 5400 | 15600-39100 |
| 20 | फोरमैन | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 | --- | 4400 | 9300-34800 |
| 21 | ऑपरेशन मैनेजर | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 4300 | 9300-34800 |
| 22 | क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 4300 | 9300-34800 |
| 23 | सीनियर मैके. (विमान) | 03 | --- | --- | --- | --- | 03 | 03 * | --- | 2800 | 5200-20200 |
| 24 | सीनियर मैके. (हेली) | 03 | --- | --- | --- | --- | 03 | 03 * | --- | 2800 | 5200-20200 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 25 | स्टोरकीपर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर | 02 | --- | --- | --- | --- | 02 | 02* | --- | 2400 | 5200-20200 |
| 26 | स्टेनोग्राफर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 2400 | 5200-20200 |
| 27 | वाहन चालक | 03 | --- | --- | --- | --- | 03 | --- | 03 | 1900 | 5200-20200 |
| 28 | वाहन चालक कम क्लीनर | 02 | --- | --- | --- | --- | 02 | 01* | 01 | 1800 | 5200-20200 |
| 29 | टूल ब्वाय | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 | --- | 1300 | 4750-7440 |
| 30 | चौकीदार | 01 | --- | --- | --- | --- | 01 | 01** | --- | 1300 | 4750-7440 |
| 31 | माली | --- | --- | --- | --- | 01 | 01 | 01 | --- | कलेक्टर दर पर | |
| 32 | स्वीपर | --- | --- | --- | --- | 02 | 02 | 02 | --- | कलेक्टर दर पर | |
| योग | | 46 | --- | --- | --- | 03 | 49 | 35 | 14 | | |

टीप: विमानन संचालनालय में कुल 49 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 04 अधिकारी/कर्मचारी नियमित हैं । ** दर्शित 08 कर्मचारी राज्य परिवहन से प्रतिनियुक्ति पर तथा * दर्शित 20 अधिकारी/कर्मचारी संविदा पर नियुक्त है तथा 03 कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत है ।

परिशिष्ट-ब

छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत आने वाली हवाई पट्टियों की सूची

| क्र. | जिला स्थान | रनवे की दिशा | रनवे की लंबाई (फिट में) | हवाई पट्टियों की समुद्र तल से उंचाई (फुट में) | हवाई पट्टियों के अक्षांस-देशांश | स्वामित्व |
|------|-------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अंबिकापुर (दरिमा) | 16 / 34 | 5330'x50' | 1900' | उत्तर-2259.50 पूर्व-08311.66 | राज्य शासन |
| 2 | बिलासपुर | 17 / 35 | 5290'x50' | 900' | उत्तर-2159.64 पूर्व-08206.88 | राज्य शासन के अधीन है, थल सेना के उपयोग हेतु प्रस्तावित । |
| 3 | भिलाई (नंदिनी) | 05 / 23 | 4500'x100' | 900' | उत्तर-2118.00 पूर्व-08123.00 | स्टील अथारिटी आफ इंडिया का स्वामित्व, राज्य शासन व NCC के उपयोग हेतु । |
| 4 | जगदलपुर | 06 / 24 | 5575'x100' | 1800' | उत्तर-1904.49 पूर्व-08202.25 | राज्य शासन का स्वामित्व लीज पर (डीआरडीओ) रक्षा सेवा के उपयोग में । |
| 5 | जशपुरनगर | 09 / 27 | 4000'x100' | 2400' | उत्तर-2255.55 पूर्व-08413.87 | राज्य शासन |
| 6 | रायगढ़ | 12 / 30 | 4000'x50' | 800' | उत्तर-2149.20 पूर्व-08321.49 | राज्य शासन |
| 7 | कोरबा | 18 / 36 | 3500'x50' | 1000' | उत्तर-2224.79 पूर्व-08243.16 | छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल का स्वामित्व उपयोग हेतु राज्य शासन के पास |
| 8 | रायगढ़ | 10 / 28 | 6600'x100' | 800' | उत्तर-2156.30 पूर्व-08320.23 | प्रायवेट जिन्दल ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज |

वित्तीय वर्ष 2011-12 का स्वीकृत बजट
व्यय एवं शेष राशि का विवरण 31.01.2011 की स्थिति में

परिशिष्ट-स
(राशि हजारों में)

| क्र. | मद | बजट 11-12 में | आबंटन राशि | पुर्ननियोजन | कुल व्यय | बचत |
|------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|----------|--------|
| | # 01 वेतन भत्ते आदि | | | | | |
| 1 | 001 वेतन | 25000 | | | 17672 | 7328 |
| 2 | 002 महंगाई वेतन | 250 | | | 193 | 57 |
| 3 | 003 महंगाई भत्ता | 620 | | | 845 | 225 |
| 4 | 006 मकान किराया भत्ता | 860 | | | 482 | 378 |
| 5 | 008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता | 100 | | | 9 | 91 |
| 6 | 014 अन्य भत्ते | 4000 | | | 1471 | 2529 |
| 7 | 015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 55 | | | 15 | 40 |
| 8 | 018 भविष्य निधि अंशदान | 100 | | | 69 | 31 |
| 9 | 020 त्यौहार अग्रिम | 10 | | | 0 | 10 |
| 10 | 021 घटाईये वापसिया | -10 | | | 0 | -10 |
| 11 | 022 अनाज अग्रिम | 20 | | | 0 | 20 |
| 12 | 023 घटाईये वापसिया | -20 | | | 0 | -20 |
| 13 | 024 चिकित्सा अग्रिम | 10 | | | 0 | 10 |
| 14 | 025 घटाईये वापसियां | -10 | | | 0 | -10 |
| | योग उद्देश्य रु 01 | 30985 | | | 20755 | 10230 |
| | # 02 मजदूरी | | | | | |
| 15 | 004 अन्य आकस्मिक मजदूरी | 210 | | | 179 | 31 |
| | # 03 यात्रा भत्ता | | | | | |
| 16 | 001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर | 550 | | | 291 | 259 |
| | # 04 कार्यालय व्यय | | | | | |
| 17 | 001 डाक तार पर व्यय | 20 | | | 15 | 5 |
| 18 | 002 दूरभाष पर व्यय | 300 | | | 160 | 140 |
| 19 | 003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण | 220 | | | 49 | 171 |
| 20 | 004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ | 50 | | | 0 | 50 |
| 21 | 005 बिजली एवं जल प्रभार | 850 | | | 127 | 723 |
| 22 | 006 वर्दियां | 50 | | | 11 | 39 |
| 23 | 007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपायी | 90 | | | 60 | 30 |
| 24 | 008 अन्य आकस्मिक व्यय | 23500 | | (-) 9000 | 9947 | 4553 |
| 25 | 011 पेट्रोल तेल आदि पर व्यय | 19000 | | | 12651 | 6349 |
| 26 | 013 किराया महसूल कर | 16000 | | (+)18000 | 33723 | 277 |
| | | 50080 | | | 0 | 50080 |
| | # 13 आर्थिक सहायता से पुर्नविनियोजन | (+)9000 | | | 0 | 9000 |
| | योग उद्देश्य रु 04 | 69080 | | | 56547 | 12533 |
| 27 | 0013 आर्थिक सहायता | | | | | |
| | 001 प्रत्यक्ष सहायता | 10000 | | (-)9000 | 0 | 1000 |
| 28 | # डिकी धन का भुगतान | 10 | | | 0 | 10 |
| 29 | # 24 अनुरक्षण कार्य | 100 | | | 0 | 100 |
| 30 | # 27 लघु निर्माण कार्य | 100 | | | 0 | 100 |
| | # 28 मशीन और उपकरण | | | | | |
| 31 | 005 वायुयान के पूर्जे | 40000 | | | 30715 | 9285 |
| | # 34 वाहनों का क्रय | | | | | |
| 32 | 002 भारी वाहन | 10000 | | | 0 | 10000 |
| | # 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ | | | | | |
| 33 | 003 परामर्श सेवायें | 25000 | | | 0 | 25000 |
| | # 31 क्षतिपूर्ति | | | | | |
| 34 | 002 अधिग्रहित भूमि मुआवजा | 350000 | | | 0 | 350000 |
| | महायोग | 527025 | | | 108487 | 418538 |

सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत मंत्रालय में विभिन्न विभागों में नियुक्त सहायक जनसूचना अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ।

--00--

| क्र. | नियुक्त अधिकारी का नाम | पदनाम | दूरभाष क्रमांक |
|------|---|-------------------|----------------------------------|
| 1. | श्री सुबोध कुमार सिंह अपीलीय अधिकारी | संचालक | 2535434 9425250150 |
| 2. | श्री एस.पाल जनसूचना अधिकारी | प्रशासकीय अधिकारी | 4080172 9893750412 |
| 3. | श्री आर.एम. डोमनिक सहायक जनसूचना अधिकारी | फोरमैन | 2274020 2423124 9425520679 |

—00—